आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.....09..../17–18

राज्य बनाम स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.7.17	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सहरसा सदर थाना कांड संख्या–167/17 दिनांक–25.02.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सहरसा सदर थाना कांड संख्या–167/17 दिनांक–25.02.17 पु0नि0 भाई भरत कुमार, पु0नि0 सह थानाध्यक्ष, सदर थाना, सहरसा के स्वःलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सोनू कुमार पे0 मुकेश पोद्दार (चालक) 2. सुधीर कुमार पे0 सरयुग यादव 3. मुकेश कुमार पे0 विशुनदेव पोद्दार 4. सुरज कुमार पे0 स्व0 हजारी चौधरी एवं 5. मुकेश कुमार पे0 हरिहर चौधरी सभी साकिन–सिमरी बख्तियारपुर जिला–सहरसा के विरूद्ध स्कॉपियों गाड़ी से अवैध शराब ले जाने एवं पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। उक्त विदेशी शराब और स्कॉपियो गाड़ी को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908 से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे वाहन से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908 का अधिग्रहण किया जाना	

11.7.17

आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त वाहन स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11H-9908 के मालिक प्रदीप यादव पिता–श्री राजेन्द्र यादव सा0 सिमरी बख्तियारपुर जिला–सहरसा है। आवेदक की ओर से कथन किया गया कि वह जप्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11H-9908 के अधिकृत एवं पंजीकृत मालिक है तथा सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर कृपा पूर्वक सम्यक रूप से विचारकर उक्त गाड़ी उचित इनडैमनिटी बॉण्ड पर आवेदक के पक्ष में मुक्त करने की कृपा की जाय। आवेदक की ओर से यह भी अभिकथन किया गया कि सहरसा सदर थाना कांड सं0–167/17 के प्राथमिकी को देखने से स्पष्ट होगा कि तथाकथित घटना के समय वर्णित स्कॉर्पियो में न तो गाड़ी मालिक थे और न ही प्राथमिकी में वर्णित गाड़ी के वैसी अवैध उदेश्य की पूर्ति के लिये प्रयुक्त किये जाने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। बल्कि सिर्फ शंका के आधार पर सूचक ने स्कॉर्पियो से शराब लाने, ले जाने, रखने वो बेचने का आरोप लगाया गया है। न्याय के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार सिर्फ शंका, चाहे यह कितनी भी बलवती हो, के आधार पर किसी के विरूद्ध कोई ठोस कानूनी कार्रवाई या उसे दंण्डित नहीं किया जा सकता है। वर्णित स्कॉर्पियो शराब ले जाने, ले लाने या शराब के कारोबार में प्रयुक्त होने का कोई ठोस आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है ना ही ऐसी लांक्षणा या आरोप पुलिस द्वारा समर्पित अधिग्रहण प्रस्ताव में ही दर्शाया गया है। प्राथमिकी में नामित अभियुक्त का ना ही कोई आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है जिससे प्रथम दृष्टया लगे कि वे लोग स्कॉर्पियो से शराब लाने, ले जाने वो बेचने का धंधा करते है। क्या कथित रूप से बरामद शराब की मात्रा व्यापार योग्य है। प्राथमिकी एवं समर्पित अधिग्रहण प्रस्ताव को देखने से स्पष्ट होगा कि तथाकथित घटना के समय अभियुक्तों के पास मात्र 750 एम0एल0 शराब था और इसके सहारे कोई शराब का धंधा नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक यह कथित रूप से गाड़ी में सवार अभियुक्त द्वारा अपने कब्जा में शराब रखने का मामला प्रतीत होता है जिसके लिये नामित अभियुक्तों की व्यक्तिगत जबाब देही होगी ना कि गाड़ी मालिक की। कथित तलाशी एवं अधिग्रहण के समय किसी भी नामित अभियुक्त को नशे की हालत में नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध हो कि गाड़ी मालिक या गाड़ी के चालक की जानकारी में अभियुक्त लोग गाड़ी में शराब ले जा रहे थे। दरसल सभी अभियुक्त और गाड़ी मालिक एक ही ग्राम पंचायत सिमरी के निवासी है एवं सामाजिक संपर्क की वजह से अभियुक्त सुधीर कुमार आवेदक से एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के नाम पर मात्र 5–6 घंटे के लये आवेदक की गाड़ी मांगकर ले गये थे और वे लोग शादी समारोह से खजुरी बैजनाथपुर अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में तलाशी के नामपर रोककर गाड़ी को जप्त कर ली गयी। दुर्भावनावश उक्त सहरसा सदर थाना काण्ड सं0–167/17 के सूचक भाई भरत कुमार ने गाड़ी जब्त करने के इरादे से प्राथमिकी में गलत रूप से लिख दिया कि गाड़ी चालक ने तथाकथित घटना के समय उनके समक्ष गाड़ी का कोई कागजात या अपना चालक अनुज्ञप्ति नहीं दिखाया जबकि वास्तविकता है कि चालक ने उनके समक्ष अपना चालक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया था। वास्तविकता तो यह भी है कि चालक

11.9.17

का नाम भी दुर्भावना पूर्वक गलत रूप से सोनु कुमार लिख दिया गया जबकि उनका वास्तविक नाम नीरज कुमार है और मौके पर उसके पास विहित अनुज्ञप्ति था लेकिन अपना उल्लू साधने और वाहवाही लूटने के ख्याल से सूचक ने उसका नाम सोनू कुमार लिख दिया। प्राथमिकी में बिना अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने से संबंधित अपराध की धारा भी समादिष्ट नहीं है। आवेदक वर्णित स्कार्पियो के पंजीकृत मालिक है और उनके पास गाड़ी का सभी वैध कागजात उपलब्ध है एवं वर्णित अपराध की घटना सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में गाड़ी के अधिहरण से मामले का विचारण भी प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। वर्णित गाड़ी के अधिहरण से किसी लोक हित की पूर्ति होने की दूर–दूर तक कोई संभावना नहीं है ना ही गाड़ी नष्ट होने वाली कोई संपति है। आवेदक अपने पक्ष में गाड़ी की मुक्ति के लिये इस माननीय न्यायालय द्वारा निदेशित किसी भी राशि का इनडेमनिटी बाण्ड बिहार सरकार के नाम समर्पित करने के लिये सक्षम एवं तत्पर है साथ ही वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप गाड़ी के रख रखाव, उपस्थापन से संबंधित कोई भी अन्डर टेकिंग देने के लिये तैयार है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन स्कॉर्पियो से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11H-9908 का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त वाहन स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11H-9908 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.7.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.7.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1091-2 /विधि, दिनांक 25-07-2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25-07-017 विधि शाखा, सहरसा।

4— copy